नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2022

क्रमांक एफ–3–07/2022/18-5-म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद द्वारा आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 18 (3) सहपठित धारा 23 (1) के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत पुनर्विलोकित सीहोर विकास योजना (प्रारूप) 2035 के रंगीन मानचित्र एवं पुस्तिका में नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट उपांतरण प्रस्तावित करती है। उपांतरणों का विस्तृत विवरण वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर उपलब्ध है, तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर सूचना प्रकाशन की दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में निरीक्षण किया जा सकेगा।

1. अवर सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग कक्ष क्रमांक ए 227, वी.बी. 2 द्वितीय तल, मंत्रालय भोपाल, म.प्र.।
2. आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल म.प्र.।
3. कलेक्टर जिला सीहोर म.प्र.।
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिक परिषद सीहोर म.प्र.।
5. सयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल–सीहोर–रायसेन म.प्र.।

अनुसूची

1. **सीहोर विकास योजना (प्रारूप) 2035 के प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र क्रमांक 4.2A, 4.2B एवं प्रस्तावित परिभ्रमण योजना अवधारणा के मानचित्र क. 5.4B में प्रस्तावित उपांतरण।**

क्रमांक	प्रारूप 2035 में धारा 19 (2) मे प्रस्तावित उपांतरण
1	2
	मार्ग रेखांकन में संशोधन संबंधी प्रस्ताव
01	प्रारूप में प्रस्तावित एम.आर.–4 का भाग जो कृषि महाविद्यालय के परिसर से गुजरता है, की चौड़ाई 18 मीटर रखते हुए Realign किया जाना प्रस्तावित है।
	भूमि उपयोग संबंधी प्रस्ताव
02	ग्राम तकीपुर में भोपाल देवास मार्ग से सलग्न भूमि खसरा क्रमांक 218/1 पर वाणिज्यिक भूमि उपयोग (वर्गीकृत बाजार) को विलोपित कर मिश्रित भूमि उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।
	सीहोर विकास योजना (प्रारूप) 2035 पुस्तिका में प्रस्तावित उपांतरण।
03	अध्याय 6 विकास नियमन की कण्डिका 6.5.4 वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र की सारणी कमांक 6.5 के नीचे अंकित टीप–1 एवं 4 को निम्न टीप से प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है:– 1. 18.0 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गो के लिए मार्ग की चौड़ाई के आधार पर निम्नानुसार एफ.ए.आर. देय होगा। • मार्ग चौड़ाई 18.0 मीटर एवं उससे अधिक– 1.75 • मार्ग चौड़ाई 24.0 मीटर एवं उससे अधिक– 2.0 4. 12.00 मीटर से अधिक चौड़े मार्गो पर भवन रेखा निम्नानुसार निर्धारित की जायेंगी। मार्ग चौड़ाई भवन रेखा (मार्ग मध्य से)

क्रमांक	प्रारूप 2035 में धारा 19 (2) मे प्रस्तावित उपांतरण
1	2
	मार्ग रेखांकन में संशोधन संबंधी प्रस्ताव
	12.0 मीटर 10.5 मीटर 18.0 मीटर 13.5 मीटर 24.0 मीटर 16.5 मीटर
04	अध्याय 6 विकास योजना (प्रारूप) –2035 की कण्डिका क्रमांक 6.11.3 के लाइन क्रमांक 2 में उल्लेखित "जल ग्रहण क्षेत्र के बाहर ग्रामीण विस्तार के लिये वर्तमान ग्रामीण आबादी से संलग्न 250 मीटर तक की परिधि का क्षेत्र अनुज्ञेय होगा, जिसमें आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां स्वीकार्य होंगी।" के स्थान पर निम्न लाईन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है– "जल ग्रहण क्षेत्र के बाहर ग्रामीण विस्तार के लिये वर्तमान ग्रामीण आबादी से संलग्न 150 मीटर तक की परिधि का क्षेत्र अनुज्ञेय होगा, जिसमें आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां स्वीकार्य होंगी।"
05	अध्याय 6 विकास योजना (प्रारूप) –2035 की कण्डिका क्रमांक 6.11.4 के लाइन क्रमांक 2 में उल्लेखित "केचमेंट क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण विस्तार के लिये वर्तमान ग्रामीण आबादी से संलग्न 150 मीटर तक की परिधि का क्षेत्र अनुज्ञेय होगा, जिसमें आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां स्वीकार्य होंगी।" के स्थान पर निम्न लाईन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है– "केचमेंट क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण विस्तार के लिये वर्तमान ग्रामीण आबादी से संलग्न 100 मीटर तक की परिधि का क्षेत्र अनुज्ञेय होगा, जिसमें आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां स्वीकार्य होंगी।"
06	अध्याय 6 विकास योजना (प्रारूप) –2035 की कण्डिका क्रमांक 6.10 में उल्लेखित "पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित आर्द्र भूमि नियम 2017 प्रभावशील है। इन नियमों के अंतर्गत अधिसूचित भोज वेटलेण्ड के अंतर्गत कुल 99 ग्राम सम्मिलित है, जिनमें से भोपाल तालाब से संलग्न केचमेंट क्षेत्र भोपाल निवेश क्षेत्र के अंतर्गत है, जिसमें 63 ग्राम सम्मिलित है; तथा भोपाल निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केचमेंट से संलग्न 36 ग्राम सीहोर निवेश क्षेत्र के अंतर्गत है। इस क्षेत्र को विकास योजना में नियोजन इकाई क्रमांक–4 क्षेत्र में रखा गया है। आर्द्र भूमि नियम, 2017 के अंतर्गत अधिसूचित किये जाने वाले नियम सीहोर विकास योजना का भाग होगें।" के स्थान पर निम्न लाईन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है– "पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित आर्द्र भूमि नियम 2017 प्रभावशील है। इन नियमों के अंतर्गत अधिसूचित भोज वेटलेण्ड के अंतर्गत सीहोर निवेश क्षेत्र में 36 ग्राम है। इस क्षेत्र को विकास योजना में नियोजन इकाई क्रमांक–4 क्षेत्र में रखा गया है। **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरण विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश क्रमांक 302/233/2022/32–3 दिनांक 16/03/2022 (आर्द्रभूमि नियम, 2017 के साथ सहपठित) यथोचित परिवर्तनों सहित सीहोर विकास योजना का भाग होगा।"**

प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को म.प्र. राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से 30 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.